राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रामसर

क्रमांक / कोर्ट / 2026 / 959 दिनांक– 25/05/2026

प्रेषित:–

तहसीलदार

रामसर।

विषय :– न्यायालय द्वारा पारित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रकरण संख्या 06/2025 का निर्णय दिनांक 25.05.2025 पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि इस न्यायालय में विचाराधीन राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रकरण संख्या 06/2025 बअनवान पेमाराम बनाम राणाराम वगैराह का निर्णय दिनांक 25.05.2026 को पारित हो चुका हैं निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावे।

संलग्नः– निर्णय की प्रति

(राम लाल मीणा)
सहायक कलक्टर RAS
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) रामसर
रामसर

क्रमांक / कोर्ट / 2026 / 960–61 दिनांक– 25/05/2026

प्रतिलिपि:–1. वादी पेमाराम वगैराह।

2.राणाराम वगैराह।

उपखण्ड अधिकारी
रामसर
सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम लाल मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –06 / 2025

उनवान

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. पेमाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट
2.लुम्भाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाड़मेर।

1.राणाराम पुत्र लिछाराम
2.स्वरूपाराम पुत्र लिछाराम
3.श्रीमती हीरादेवी पत्नी लिछाराम
4.खेराजराम पुत्र तेजाराम
5.श्रीमती चुनीदेवी पत्नी लुम्भाराम
6.श्रीमती धनीदेवी पत्नी पेमाराम जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाड़मेर।
7. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामसर।
8.तहसीलदार रामसर।

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 06 / 2025 :– **निर्णय** :– दिनांक :–.25.05.2026

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा **रामदेव मंदिर** पटवार मण्डल **चाडार मदरूप** ,भूअनि रामसर के खसरा संख्या46 रकबा ,**8.8302** हेक्टैयर, अर्थात 54 बीघा 11 बिस्वा बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण की आयी हुई है जिसमें हिस्से खुले हुये है तथा मौखिक बंटवाड़ा अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा उसी अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण काबिज है। वादग्रस्त आराजी में बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस विभाजन करने हेतु यह वाद दिनांक **09.01.2025** को जरिये अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 01 से 06 की ओर से प्रतिवादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, एंव सहमती जाहिर की गई। एंव प्रतिवादी संख्या 07 बैंक होनं व प्रतिवादी संख्या 08 भूमिधारी होनें से औपचारिक रूप से संयोजित किया जाता है। एंव तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। जो तहसीलदार रामसर के पत्रांक / भू.अ. / 2026 / 1292 दिनांक 06.05.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को दिनांक 07.05.2026 को प्राप्त हुआ जिसे रेकर्ड पर लेकर शामील मिशल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जानें का निवेदन किया। कि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.05.2026 के अनुसार पक्षकारानों की भूमि का विभाजन किया जावें। अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एंव मौखिक साक्ष्य तथा संलग्न विभाजन के प्रस्ताव के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा **रामदेव मंदिर** पटवार मण्डल **चाडार मदरूप** ,भूअनि रामसर के खसरा संख्या46 रकबा **8.8302** हेक्टैयर, अर्थात 54 बीघा 11 बिस्वा बीघा भूमि में सलग्न तहसीलदार रामसर द्वारा प्राथमिक डिकी की पालना में निम्न विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया।

क्र. स.	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर	लगान	किस्म	बंरग
1.	1.लुम्बा पुत्र गोरधन हिस्सा 2957 / 5080 2.चूनीदेवी पत्नी लुम्भाराम हिस्सा 2123 / 5080 जाति जाट सा.देह खातेदार रहन लुम्भा का हिस्सा 1088 / 5080 बैंक SBBJ शाखा रामसर।	46	5.1395	0.25	बा.दो	हरा
		01	**5.1395**	**0.25**	**बा.दो**	

सहायक कलक्टर (SDO) रामसर

थायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम लाल मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –06/2025

उनवान

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. पेमाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट
2.लुम्भाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाडमेर।

1.राणाराम पुत्र लिछाराम
2.स्वरूपाराम पुत्र लिछाराम
3.श्रीमती हीरादेवी पत्नी लिछाराम
4.खेराजराम पुत्र तेजाराम
5.श्रीमती चुनीदेवी पत्नी लुम्भाराम
6.श्रीमती धनीदेवी पत्नी पेमाराम जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाडमेर।
7. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामसर।
8.तहसीलदार रामसर।

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 06/2025 :– **निर्णय** :– दिनांक :–.25.05.2026

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा **रामदेव मंदिर** पटवार मण्डल **चाडार मदरूप** ,भूअनि रामसर के खसरा संख्या46 रकबा ,8.8302 हेक्टैयर, अर्थात 54 बीघा 11 बिस्वा बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण की आयी हुई है जिसमें हिस्से खुले हुये है तथा मौखिक बंटवाड़ा अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा उसी अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण काविज है। वादग्रस्त आराजी में वाई मीटीस एण्ड वाउण्डस विभाजन करने हेतु यह वाद दिनांक **09.01.2025** को जरिये अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 01 से 06 की ओर से प्रतिवादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, एंव सहमती जाहिर की गई। एंव प्रतिवादी संख्या 07 बैंक होनं व प्रतिवादी संख्या 08 भूमिधारी होनें से औपचारिक रूप से संयोजित किया जाता है। एंव तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। जो तहसीलदार रामसर के पत्रांक/भू.अ./2026/1292 दिनांक 06.05.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को दिनांक 07.05.2026 को प्राप्त हुआ जिसे रेकर्ड पर लेकर शामील मिशल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जानें का निवेदन किया। कि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.05.2026 के अनुसार पक्षकारानों की भूमि का विभाजन किया जावें। अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एंव मौखिक साक्ष्य तथा संलग्न विभाजन के प्रस्ताव के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा **रामदेव मंदिर** पटवार मण्डल **चाडार मदरूप** ,भूअनि रामसर के खसरा संख्या46 रकबा **8.8302** हेक्टैयर, अर्थात 54 बीघा 11 बिस्वा बीघा भूमि में सलग्न तहसीलदार रामसर द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में निम्न विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया।

क्र.स.	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर	लगान	किस्म	बंरग
1.	1.लुम्बा पुत्र गोरधन हिस्सा 2957/5080 2.चूनीदेवी पत्नी लुम्भाराम हिस्सा 2123/5080 जाति जाट सा.देह खातेदार रहन लुम्भा का हिस्सा 1088/5080 बैंक SBBJ शाखा रामसर।	46 01	5.1395 5.1395	0.25 0.25	बा.दो बा.दो	हरा

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner

	.पेमाराम पुत्र गोरधन हिस्सा 136/204 2.धनीदेवी पत्नी प्रहलादराम हिस्सा 68/204 जाति जाट सा.देह खातेदार	46	1.6511	0.08	बा.दो	लाल
		01	**1.6511**	**0.08**	**बा.दो**	
3.	1.राणाराम पुत्र लिछाराम हिस्सा 84/252 2.स्वरूपाराम पुत्र लिछाराम हिस्सा 44/252 3.हीरादेवी पत्नी लिछाराम हिस्सा 84/252 4.खेराजराम पुत्र तेजाराम हिस्सा 40/252 जाति जाट सा.देह खातेदार	46	2.0396	0.11	बा.दो	नीला
		01	**2.0396**	**0.11**	**बा.दो**	

उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार रामसर द्वारा प्राथमिक विभाजन के आदेश की पालना में प्रेषित किया हैं उक्त दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई उस पर मनन किया गया । वादीगण वकील वादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमती जाहिर की, एवं वाद अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी करनें का निवेदन किया। अतः पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया, प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस अनुसार अंतिम विभाजन करनें के आदेश पारित जाते हैं । तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तुत विभांजन मुतिब हो तदनानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा शीट में इन्द्राज करना सुनिश्चित करें। पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तदनूसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम लाल मीणा)
सहायक कलक्टर रामसर
सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner

अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर बमुकाम रामसर
बइजलास श्री राम लाल मीणा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या –06/2025 अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पेमाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट 2.लुम्भाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाडमेर।		1.राणाराम पुत्र लिछाराम 2.स्वरूपाराम पुत्र लिछाराम 3.श्रीमती हीरादेवी पत्नी लिछाराम जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाडमेर। 4 शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामसर। 5.तहसीलदार रामसर।

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 06/2025   ::–**डिकी पर्चा** ::–   दिनांक :–25.05.2026

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू व हाजरी मिनजामिन मुदई व मुहायला पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि मौजा **रामदेव मंदिर** पटवार मण्डल **चाडार मदरूप** ,भूअनि रामसर के खसरा संख्या46 रकबा 8.8302 हेक्टैयर, अर्थात 54 बीघा 11 बिस्वा बीघा की भूमि में तहसीलदार रामसर द्वारा विभाजन अनुसरण में प्रस्तुत वादी एंव प्रतिवादीगण का खसरा रकबा व लगान अलग –अलग करनें के आदेश दिये जाते हैं तदनानुसर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे । तदनासुार डिकी पर्चा जारी हो। वादीगण एंव प्रतिवादीगण खर्चा अपना–अपना वहन करें।

बीज...................... मुबलीग...बाबत

यह खर्चा इस मुकदमे के मय सद व शरद..........फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.05.2026 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.एम.रामसर)
सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजाना		

सहायक कलक्टर रामसर
सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner